

2 pages POLICY

67

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०सं०-20-11

कमाक-92 / 2018

सं० ई/131/जीएसटी/2017-18/चार

दिनांक 7-06-2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-भूमि छोड़ने का प्रभार/पट्टा प्रभार/लाइसेंस प्रभार की उगाही।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० 2013/एलएमएल-1/14/63 दिनांक 21.05.2018 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(आर०के०)

सकाधि/मुख्या०-11

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूठरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूठरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर-02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एसपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

THE SECRETARY OF RAILWAYS
GOVERNMENT OF INDIA
RAILWAY BOARD.

New Delhi, Dt: 21/05/2013

29.9.5.16

By CPD/NL
APD/IMP

N. C. Ry. Co. 10/1/1900

Ref.: Board's letter No. 97/LML/24/3 dated 24.04.2014.

For way leave/leasing/licensing charges as per laid down procedures, a demand note is issued to parties before granting permission. Now, GST charges are also included along with other charges in the demand note. All Zonal Railways are advised to ensure that GST number in the demand note as applicable is invariably mentioned.

(Shekhar Kashyap)
Dy. Director/LML- I
Railway Board

Pl. *cineraria*
~~cineraria~~ *cineraria*
118118

31-5-18

612

3/15/18